फोन : 0141-2377799
पंजीयन क्रमांक : 72/54-55

# विधान

## राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

**(22 मई 2022 तक संशोधित व परिवर्द्धित)**

प्रकाशक

**राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)**

82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेंट प्रेस के पास,
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001

फोन : 0141-2377799

# विधान

## राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

**(22 मई 2022 तक संशोधित व परिवर्द्धित)**

**संरक्षक**

सर्वश्री : नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा,
घीसूमल सनाढ्य राजनारायण शर्मा

**प्रकाशक**

**राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)**

| नवीन कुमार शर्मा | अरविन्द व्यास | महेन्द्र कुमार लखारा |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | सभाध्यक्ष | महामन्त्री |

**मूल्य - 20/-**

82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेंट प्रेस के पास
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001
ई-मेल : rss.rashtriya@gmail.com
Website : www.rssrashtriya.org

# विधान

**(22 मई 2022 तक अद्यतित, संशोधित व परिवर्द्धित)**

1. **नाम :-** इस संस्था का नाम **"राजस्थान शिक्षक संघ" (राष्ट्रीय)** होगा जिसको पूर्व में राजस्थान शिक्षक संघ सनाढ्य पक्ष के नाम से जाना जाता रहा है तथा जिसका रजिस्ट्रेशन पूर्व में राजस्थान शिक्षक संघ के नाम से रहा है।
2. **कार्य क्षेत्र:-** संगठन का कार्य क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा।
3. **कार्यालय :-** इस संस्था का प्रधान कार्यालय जयपुर में होगा। इसकी एक शाखा महामन्त्री के कार्यस्थल/निवास पर तथा दूसरी शाखा विभाग के प्रधान कार्यालय के स्थान पर होगी।
4. **उद्देश्य :-** इस संघ के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-
   (क) शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना, सुझाव देना एवं उनका निराकरण करवाना।
   (ख) राजस्थान में शिक्षा के विस्तार एवं विकास में सहयोग करना।
   (ग) राजस्थान के शिक्षकों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता बढ़ाने में सहायता देना।
   (घ) छात्र एवं शिक्षकों के हितों की रक्षा करना।
   (ड़) शिक्षा सम्बन्धी साहित्य की रचना करना।
   (च) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षक संगठनों से सम्बन्ध व समन्वय स्थापित करना।
   (छ) राष्ट्रीय समस्याओं पर चिन्तन करना एवं विचार कर निर्णय करना।
   (ज) शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना एवं राष्ट्रहित के कार्यक्रमों में सहयोग करना।
   (झ) छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु चिन्तन कर सुझाव देना।
5. **कार्य प्रणाली :-** यह संघ प्रदेश कार्यकारिणी, जिला शाखाओं, उपशाखाओं, समितियों, उपसमितियों, प्रकोष्ठों आदि के माध्यम से निम्न कार्य कर सकेगा :-

(क) अनुसन्धानों, प्रयोगों, प्रदर्शनों, व्याख्यानों एवं कार्यशालाओं का आयोजन।

(ख) शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी सम्बन्धी विषयों से युक्त पत्र-पत्रिका आदि का प्रकाशन।

(ग) शिक्षा सप्ताहों, सेमीनार, कार्यशाला एवं सम्मेलनों का आयोजन।

(घ) राज्य में संगठनात्मक दृष्टि से जिला शाखाएँ एवं उपशाखाएँ स्थापित करना।

(ड़) शिक्षकों, शिक्षा प्रेमियों, शिक्षाविदों एवं शिक्षक संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना।

(च) सुनिश्चित योजनापूर्वक शिक्षापयोगी साहित्य की रचना एवं प्रकाशन करना।

(छ) समस्त श्रेणी के अखिल भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा अथवा शिक्षक संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना और आवश्यकतानुसार उनसे सम्बद्धता प्राप्त करना तथा शिक्षा के विस्तार हेतु परस्पर सहयोग का आदान-प्रदान करना।

(ज) संस्था के वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य समान प्रकार की प्रणालियाँ अपनाना।

(झ) संगठन द्वारा अथवा संगठन के सहयोग से स्थापित न्यासों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं आदि में आवश्यकतानुसार शिक्षा व संगठनात्मक विषयों पर परस्पर सहयोग करना तथा पारस्परिक आर्थिक सहयोग का आदान-प्रदान करना।

**6. सदस्यता :-**

**(क) स्थायी सदस्य :**

स्थायी समिति के निर्णय करने पर किसी भी शिक्षक को स्थायी समिति द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क देने पर आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा। ऐसे शिक्षक जो कुल मिलाकर 10 सत्रों तक संगठन के साधारण सदस्य रहे हो, आजीवन सदस्यता के लिए अपना आवेदन पत्र प्रदेश स्थायी समिति को प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रदेश स्थायी समिति के अनुमोदन/स्वीकृति के उपरान्त

आवेदित शिक्षक निर्धारित शुल्क जमा कराकर आजीवन सदस्य बन सकेंगे। इस विधान से पूर्व प्रचलित विधान के अनुसार जो शिक्षक आजीवन सदस्य बने हैं, वे भी यथावत आजीवन सदस्य बने रहेंगे।

**(ख) साधारण सदस्य :-**

कोई भी शिक्षक प्रदेश महासमिति द्वारा निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क देने पर साधारण सदस्य बन सकेगा।

**(ग)** शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) एवं इसके द्वारा गठित किसी अन्य संस्था के ऐसे पदाधिकारी जो स्थायी समिति की बिना पुर्वानुमति के किसी अन्य शिक्षक/कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी घोषित हो गये हों या उन्होंने अलग शिक्षक संगठन बना लिया हो, उनकी साधारण/स्थायी सदस्यता स्वत: ही समाप्त मानी जायेगी।

**विशेष :- शिक्षक का तात्पर्य :-**

राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग तथा संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक। राजस्थान प्रदेश में राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं, अधिनियमों आदि के तहत संचालित शिक्षण संस्थाओं या अन्य विभागों में कार्यरत शिक्षक तथा राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान प्रदेश स्थित शिक्षक प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक जिसमें सभी स्तर के प्रशिक्षित पूर्व प्राथमिक शिक्षक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक, प्रबोधक, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षक, पुस्कालयाध्यक्ष, संस्था प्रधान, प्रधानाचार्य, उप- प्रधानाचार्य तथा शिक्षक से पदोन्नत होकर बने अतिरिक्त निदेशक स्तर तक के सभी शिक्षा अधिकारी सम्मिलित हैं।

**(घ) संस्था सदस्य :-**

प्रारम्भिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, पंचायत राज विभाग तथा अन्य किसी भी प्रकार के शिक्षकों के विशिष्ट वर्ग का न्यूनतम 500 (विशेष परिस्थितियों में स्थायी समिति इस

संख्या को परिवर्तित कर सकती है) की सदस्यता वाला कोई भी एक राज्यव्यापी संगठन इस संघ की शाखा बन सकेगा। वह संस्था सदस्य कहलायेगा।

इस संस्था का विधान संघ की प्रदेश कार्यकारिणी अथवा स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत होगा एवं प्रतिवर्ष यथा समय स्थायी समिति द्वारा निर्धारित राशि संघ को सदस्यता शुल्क के रूप में देता रहे और प्रतिवर्ष अपना वार्षिक कार्य विवरण यथा समय संघ के पास प्रेषित करता रहे।

**(ड़) मानद सदस्य :-**

विभिन्न शिक्षा विशेषज्ञों को जिनकी संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, सदस्य बनाने का निर्णय स्थायी समिति करेगी। ये सदस्य नि:शुल्क एवं तीन वर्ष तक के लिए होंगे तथा आवश्यकतानुसार स्थाई समिति द्वारा इसमें परिवर्तन या संशोधन किया जा सकेगा। ये किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे।

**7. साधारण कोष :-**

**(क)** उपशाखा का राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के नाम से किसी भी बैंक/डाकघर में अनिवार्य रूप से खाता होगा जिसका संचालन उपशाखा अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा तथा इनमें कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

**(ख)** जिला शाखा का खाता किसी बैंक/डाकघर में अनिवार्य रूप से होगा जिसका संचालन जिला अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा तथा इनमें कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

**(ग)** प्रदेश का राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के नाम से किसी भी बैंक में अनिवार्य रूप से खाता/खाते होगा। खातों का संचालन अध्यक्ष, महामन्त्री एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा तथा इनमें कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

**(घ)** साधारण सदस्यों से प्राप्त शुल्क का पचास प्रतिशत

उपशाखा कोष में, पच्चीस प्रतिशत जिला शाखा कोष में एवं पच्चीस प्रतिशत प्रदेश कोष में प्रतिवर्ष जमा होगा। इसके अतिरिक्त धन संग्रह करने/अनुदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदेश कार्यकारिणी/स्थाई समिति की स्वीकृति से प्रदेश, जिला शाखा व उपशाखा कार्यकारिणी को होगा।

(ड़) कुछ जिलों या उपशाखाओं में निर्वाचन सम्पन्न नहीं होने पर प्रदेश द्वारा संयोजक एवं सह संयोजक नियुक्त किये जाते है। ऐसे जिलों या उपशाखाओं में सम्बन्धित बैंक खातों का संचालन संयोजक एवं सह संयोजक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।

**8. स्थायी कोष :-**

(क) उपशाखा, जिला शाखा और प्रदेश का अलग-अलग स्थायी कोष होगा जिसमें साधारण सदस्यता से प्राप्त अंशदान का दस प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा करना होगा।

(ख) आजीवन सदस्यों एवं संस्था सदस्यों से प्राप्त शुल्क प्रान्त के स्थायी कोष में जमा होगा।

(ग) स्थायी कोष का उपयोग साधारणतया नहीं किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में स्थायी सम्पत्ति क्रय/निर्माण/जीर्णोद्धार या संगठन द्वारा शिक्षकों के लिए कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में इस कोष में से व्यय किया जा सकेगा। प्रदेश स्थायी कोष का उपयोग स्थायी समिति के निर्णय से एवं उपशाखा और जिला शाखा के स्थायी कोष का उपयोग सम्बन्धित कार्यकारिणी के निर्णय से किया जा सकेगा। इस निर्णय की क्रियान्विति प्रान्तीय अध्यक्ष/महामन्त्री की लिखित स्वीकृति के बाद ही होगी अन्यथा सम्बन्धित कार्यकारिणी का निर्णय स्वत: ही रद्द समझा जायेगा।

**9. क्षेत्र :-**

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के तीन कार्य क्षेत्र

निम्नानुसार होंगे - 1. प्राथमिक शिक्षा 2. माध्यमिक शिक्षा 3. संस्कृत शिक्षा।

स्थायी समिति के निर्णयानुसार आवश्यकता होने पर क्षेत्र निर्धारण में परिवर्तन किया जा सकता है।

**10. संरक्षक मण्डल :-**

प्रदेश स्तर पर एक संरक्षक मण्डल होगा। संरक्षक मण्डल में उन्हीं आजीवन सदस्यों को लिया जा सकेगा जो प्रदेश के स्थायी समिति में किसी भी एक या अधिक पदों पर कम से कम दस वर्ष तक काम कर चुके हों तथा पचास वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। इसका निर्णय स्थायी समिति सर्वसम्मति से करेगी। इनका त्याग पत्र स्वीकार होने या किसी अन्य शिक्षक संगठन के सदस्य या पदाधिकारी बन जाने पर सम्बन्धित संरक्षक, संरक्षक के दायित्व से स्वत: ही मुक्त माने जायेंगे। संरक्षक मण्डल समय-समय पर प्रदेश, जिला एवं उपशाखा स्तर की किसी भी कार्यकारिणी, समिति या पदाधिकारी का अपने सुझावों द्वारा मार्गदर्शन करेंगे। जब संरक्षक मण्डल का बहुमत प्रदेश कार्यकारिणी अथवा स्थायी समिति के निर्णय से असहमत हो तो उनको पुनर्विचार के निर्देश दे सकते हैं। इस स्थिति में पुनर्विचार करना आवश्यक होगा। पुन: विचार होने पर आहूत बैठक में उपस्थिति की कुल संख्या के दो तिहाई या अधिक बहुमत द्वारा पारित निर्णय ही मान्य होगा। समस्त संरक्षक स्थायी समिति के स्थायी सदस्य होंगे। प्रदेश महासमिति द्वारा पारित विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव संरक्षक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति/बहुमत से अनुमोदित होने के पश्चात ही लागू होंगे।

**11. प्रदेश महासमिति :-**

**(क)** प्रदेश महासमिति इस संस्था की सर्वोच्च नीति नियामक समिति होगी जिसका गठन निम्न प्रकार से होगा :-

1. प्रत्येक जिला शाखा और संस्था शाखा के अध्यक्ष, मंत्री व महिला मंत्री एवं प्रत्येक उपशाखा की कुल सदस्यता के एक प्रतिशत के तुल्य प्रतिनिधि जिनका निर्वाचन उपशाखा निर्वाचन के

समय उपस्थित सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

2. संगठन के आजीवन सदस्य जो आजीवन सदस्य बनने के बाद कुल मिला कर 05 (पाँच) वर्ष तक प्रदेश कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं।

3. स्थायी समिति अथवा प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत दो शिक्षा विशेषज्ञ।

4. गत सत्र में प्रदेश महासमिति द्वारा निर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी।

**(ख)** किसी ऐसे अपरिहार्य कारण से जिस पर प्रदेश महासमिति, प्रदेश कार्यकारिणी अथवा स्थायी समिति का वश नहीं है, यदि प्रदेश महासमिति के गठन सम्बन्धी धारा 11 (क) का कोई अंश क्रियान्वित न हो सके तो उसके कारण महासमिति का गठन अवैध नहीं माना जायेगा।

**(ग)** साधारणतया प्रतिवर्ष महासमिति का वार्षिक अधिवेशन होगा। प्रदेश कार्यकारिणी या स्थायी समिति द्वारा आवश्यकता अनुभव होने पर प्रदेश महासमिति का अधिवेशन बुलाया जा सकेगा। प्रदेश महासमिति का अधिवेशन स्थायी समिति द्वारा निर्धारित स्थान और दिनांक को अध्यक्ष अथवा महामन्त्री और सभाध्यक्ष द्वारा 15 दिन की पूर्व सूचना से बुलाया जायेगा। अधिवेशन में प्रदेश महासमिति की बैठक का गणपूरक (कोरम) कुल संख्या का एक तिहाई अथवा 101 (जो भी कम हो) होगा किन्तु स्थगित बैठक में गणपूरक आवश्यक नहीं होगा।

**(घ)** अधिवेशन में प्रदेश महासमिति निम्नलिखित कार्यों में से जो भी आवश्यक हो उन्हें सम्पन्न करेगी :-

1. प्रदेश कार्यकारिणी का निर्वाचन।
2. स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित विधान संशोधन सम्बन्धी समस्त प्रस्तावों पर विचार कर विधान में आवश्यक संशोधन प्रस्ताव पारित करना।
3. गत सत्र का कार्य विवरण स्वीकृत करना।
4. गत सत्र के आय-व्यय एवं आगामी सत्र के अनुमानित आय-

व्यय को स्वीकृत करना।

5. प्रदेश कार्यकारिणी अथवा स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना और उनको स्वीकृत करना।

**(ड़)** विशेष परिस्थितियों में प्रदेश महासमिति का विशेष अधिवेशन प्रदेश कार्यकारिणी अथवा प्रदेश महासमिति के आधे से अधिक सदस्यों अथवा स्थायी समिति के दो तिहाई या अधिक सदस्यों के लिखित आवेदन पर महामन्त्री को सभाध्यक्ष को सूचना देते हुए एक माह की अवधि में बुलाना होगा अन्यथा आवेदन की तिथि के एक माह पूर्ण हो जाने पर 15 दिन की पूर्व सूचना से आवेदक सदस्यों को विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा। इस प्रकार के विशेष अधिवेशन में प्रदेश महासमिति के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी और उपस्थित सदस्यों के कम से कम 75 प्रतिशत बहुमत से किये गये निर्णय ही मान्य समझे जावेंगे। विशेष परिस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करना और उसका गठन करना भी सम्मिलित है।

**12. प्रदेश स्थायी समिति :-**

प्रदेश स्तर पर एक स्थायी समिति होगी जो प्रदेश महासमिति एवं प्रदेश कार्यकारिणी के प्रति उत्तरदायी होगी और जिसके आदेश सभी जिला शाखाओं, उपशाखाओं एवं सदस्यों के लिए आवश्यक रूप से मान्य होंगे। इस स्थायी समिति में प्रदेश सभाध्यक्ष, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सभी उपाध्यक्ष, महामन्त्री, अतिरिक्त महामन्त्री, मंत्री, समस्त क्षेत्रों के सचिव, महिला मंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री सदस्य होंगे। संरक्षक मण्डल के सदस्य इस समिति के विशेष आमन्त्रित सदस्य होंगे। आवश्यकता होने पर अध्यक्ष-महामन्त्री विचार-विमर्श कर किसी अन्य को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे। महामन्त्री इसकी बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की स्वीकृति या निर्देश से कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना पर और विशेष आवश्यक होने पर कम से कम 5 दिन पूर्व सूचना पर बुलायेंगे। इसका गणपूरक कुल संख्या का आधा होगा। यह समिति राज्य सरकार, माध्यमिक, प्रारम्भिक, संस्कृत शिक्षा, पंचायत

राज विभाग व सम्बन्धित अधिकारियों आदि से तत्कालीन समस्याओं पर वार्ता करेगी, प्रतिनिधि मण्डल के रूप में मिलेगी, ज्ञापन प्रस्तुत करेगी व समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक निर्णय करेगी। इसमें शांति पूर्ण आंदोलनों का आयोजन व संचालन करना एवं उनकी स्वीकृति देना भी सम्मिलित है। विधान संशोधन सम्बन्धी प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर अपने सुझाव सहित प्रदेश महासमिति को प्रस्तुत करेगी। इस विधान की किसी भी धारा या उपधारा में अधिकृत या प्रदत्त अधिकारों व कर्त्तव्यों के अनुसार कार्य करेगी तथा प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गये कार्यों एवं अधिकारों का उपयोग करेगी और किसी भी विषय पर आवश्यकता होने पर प्रदेश कार्यकारिणी को अपने सुझाव देगी। चुनाव सम्बन्धी निर्देशों की रचना में सहयोग करेगी।

**13. प्रदेश कार्यकारिणी का गठन :-**

**(क)** प्रदेश कार्यकारिणी के निम्नांकित निर्वाचित सदस्य होंगे :-

1. सभाध्यक्ष-एक
2. उपसभाध्यक्ष-दो
3. अध्यक्ष-एक
4. वरिष्ठ उपाध्यक्ष-एक
5. उपाध्यक्ष-विभाग द्वारा गठित प्रत्येक संभाग के अनुसार एक-एक
6. उपाध्यक्ष-महिला-एक
7. उपाध्यक्ष-तीन (माध्यमिक, प्रारम्भिक व संस्कृत शिक्षा क्षेत्र प्रत्येक से एक-एक)
8. महामन्त्री-एक
9. अतिरिक्त महामन्त्री-एक
10. मंत्री-दो (पुरूष व महिला)
11. सचिव- तीन (माध्यमिक, प्राथमिक, संस्कृत)
12. महिला सचिव-एक
13. कोषाध्यक्ष-एक

**एवं कार्यकारिणी सदस्य संवर्गश: एक :-**

14. अध्यापक
15. पंचायत समिति शिक्षक
16. वरिष्ठ अध्यापक
17. प्राध्यापक
18. प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य सदस्य
19. महाविद्यालय शिक्षा
20. शारीरिक शिक्षक
21. प्रयोगशाला सहायक
22. निजी शिक्षण संस्था
23. महिला शिक्षक
24. संस्कृत शिक्षा (संस्कृत विभाग से)
25. पुस्तकालयाध्यक्ष
26. प्रबोधक सदस्य
27. सेवानिवृत्त शिक्षक

**(ख) सहवरण के पद :-**

1. संगठन मंत्री-एक
2. सह संगठन मंत्री-चार (तीन पुरूष तथा एक महिला)
3. सम्भाग संयुक्त मंत्री प्रत्येक संभाग से-दो (एक पुरूष एवं एक महिला)
4. संभाग संगठन मंत्री प्रत्येक संभाग से-दो (एक पुरूष एवं एक महिला)
5. आवश्यकतानुसार विभाग संगठन मंत्री
6. आमंत्रित सदस्य (जिन जिलों का प्रतिनिधित्व प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं हुआ हो)
7. प्रदेश मीडिया प्रमुख-एक ।
8. प्रदेश कार्यकारिणी आमन्त्रित सदस्यों की संख्या में कमी/वृद्धि एवं प्रकोष्ठों की रचना भी कर सकती है।

(ग) महामन्त्री द्वारा मनोनीत संयुक्त मंत्री-तीन (महामन्त्री कार्यालय, विभाग मुख्यालय एवं महिला-प्रत्येक एक)।

(घ) कार्यालय मंत्री आवश्यकतानुसार।

(ड़) गत सत्र के अध्यक्ष और महामन्त्री।

(च) अखिल भारतीय संस्था या ऐसी संस्था जिससे यह संगठन सम्बद्ध है, की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, जो राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के सदस्य है, प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमन्त्रित सदस्य होंगे।

(छ) किसी भी सदस्य के प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता से त्याग पत्र देने या बिना सूचना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर या किसी भी अन्य कारण से प्रदेश कार्यकारिणी का कोई स्थान रिक्त होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने का अधिकार स्थायी समिति को होगा।

(ज) प्रदेश कार्यकारिणी के निर्वाचन योग्य पद पर उस पद व क्षेत्र से सम्बन्धित प्रदेश महासमिति का वर्तमान सदस्य ही निर्वाचन हेतु प्रत्याशी बन सकेगा।

(झ) उपसभाध्यक्षों में से अधिक मतों से निर्वाचित अथवा निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में अधिक आयु वाला वरिष्ठ माना जायेगा।

**14. प्रदेश कार्यकारिणी के कार्य :-**

प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश महासमिति के प्रति उत्तरदायी होगी। उसके अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त निम्नांकित विशेष कर्त्तव्य और अधिकार होंगे :-

1. प्रदेश महासमिति द्वारा पारित प्रस्तावों एवं संगठन के वार्षिक शैक्षिक सम्मेलन में प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित प्रस्तावों को क्रियान्वित कराना।

2. प्रदेश एवं जिला शाखाओं, उपशाखाओं का संचालन और उनके कार्यक्रमों को पूरा कराना।

3. वार्षिक शैक्षिक सम्मेलन एवं प्रदेश महासमिति के अधिवेशन का आयोजन करना और वार्षिक शैक्षिक सम्मेलन के अवसर पर गत वर्ष के कार्यों की रिपोर्ट और आय-व्यय का जाँचा हुआ विवरण प्रस्तुत करना।

4. आवश्यकतानुसार प्रकोष्ठों, समितियों, उप समितियों एवं उपनियमों का निर्माण करना।

5. संस्था सदस्य का विधान स्वीकृत करना।

6. आवश्यक धन संग्रह एवं अनुदान प्राप्त करना।

7. विधान में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखित अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन करना।

8. उपर्युक्त अथवा अन्य कार्यों में से किन्हीं को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यकतानुसार प्रदेश कार्यकारिणी स्थायी समिति को अधिकृत कर सकती है।

9. प्रदेश कार्यकारिणी अपनी कुल संख्या के बहुमत से प्रदेशाध्यक्ष सहित प्रदेश, जिला शाखा या उपशाखा कार्यकारिणी/सदस्य के विरूद्ध आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेगी जिसमें निलम्बन, पद मुक्ति, सदस्यता मुक्ति तथा शाखा या उपशाखा को भंग करना आदि सम्मिलित है।

10. प्रदेश कार्यकारिणी के निर्वाचन के पश्चात रिक्त रहे निर्वाचन के पद तथा सहवरण के पदों पर सहवरण/मनोनयन करना।

**15. प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक :-**

**(क)** प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सामान्यतया अध्यक्ष की अनुमति या निर्देश से महामन्त्री द्वारा 15 दिन पूर्व और विशेष आवश्यकता होने पर सात दिन की पूर्व सूचना देकर बुलाई जायेगी। स्थायी समिति के पाँच सदस्यों अथवा प्रदेश कार्यकारिणी के 15 सदस्यों के लिखित आवेदन पर महामन्त्री को आवेदन तिथि के 21 दिन की अवधि में सात दिन की पूर्व सूचना पर बैठक बुलाना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदक सदस्यों को इसके बाद सात दिन की पूर्व सूचना पर बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

**(ख)** प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के लिए गणपूरक एक तिहाई अथवा 15 (जो भी कम हो) होगा और स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूरक आवश्यक नहीं होगा। ऐसी सूचना के साथ विचारणीय विषय सूची संलग्न करना आवश्यक है।

**16. प्रदेश पदाधिकारियों के अधिकार और कर्त्तव्य :-**

**(क) अध्यक्ष :**

1. प्रदेश कार्यकारिणी व स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठकों में समान मत होने पर निर्णायक मत देंगे।
2. प्रदेश कार्यकारिणी एवं स्थायी समिति की बैठक बुलाने की अनुमति अथवा निर्देश देंगे।

3. प्रदेश/सम्बन्धित क्षेत्र/जिला या उपशाखा के किसी भी पदाधिकारी को आवश्यक आदेश या निर्देश दे सकेंगे।
4. स्वीकृत बजट के अन्तर्गत एक साथ 10000 रूपये खर्च करने की स्वीकृति देंगे तथा महामन्त्री के व्यय बिलों को पारित करेंगे।
5. आवश्यकता होने पर प्रारम्भिक अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेंगे। इसके अन्तर्गत प्रदेश कार्यकारिणी (स्थायी समिति को छोड़कर), जिला शाखा एवं उपशाखा के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य के विरूद्ध गम्भीर आरोप होने पर अथवा अनियमितता या संगठन विरोधी कार्य या विधान के विपरीत कार्य करने पर उसको तत्काल निलम्बित करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा जिसकी पुष्टि 30 दिन में स्थायी समिति अथवा कार्यकारिणी से करानी आवश्यक होगी अन्यथा इस अवधि के बाद निलंबन आदेश स्वत: ही रद्द हो जायेगा।

**(ख) वरिष्ठ उपाध्यक्ष :-**

1. अध्यक्ष द्वारा निर्देशित कार्य करेंगे।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी अथवा स्थायी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसके अधिकारों एवं दायित्वों को वहन करेंगे।

**(ग) उपाध्यक्ष :-**

1. प्रदेश कार्यकारिणी/स्थायी समिति अथवा अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
2. अपने संभाग, जिला शाखाओं एवं उपशाखाओं के कार्य की देख-रेख कर अध्यक्ष एवं महामन्त्री को अपनी रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत करेंगे।
3. अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी अथवा स्थायी समिति की बैठकों की क्रमश: अध्यक्षता करेंगे। यह क्रम स्थायी समिति द्वारा तय कर दिया जायेगा।

(4) संभाग बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(घ) **महामन्त्री :-**

1. विधान के अनुसार सभी प्रकार की बैठकों को बुलायेंगे, उनका संयोजन करेंगे और प्रत्येक बैठक का विवरण तैयार कर आगामी बैठक में अनुमोदन करायेंगे।
2. प्रदेश महासमिति, प्रदेश कार्यकारिणी, स्थायी समिति एवं अनुशासन समिति के निर्णयों एवं प्रस्तावों को कार्यान्वित करने व कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।
3. स्वीकृत बजट के अन्तर्गत एक साथ 10000 रूपये तक तथा स्थायी समिति की स्वीकृति से उससे अधिक व्यय कर सकेंगे। प्रदेश कोष से किये जाने वाले व्यय बिलों को पारित करेंगे।
4. प्रदेश, समस्त क्षेत्रों, जिला शाखाओं एवं उपशाखाओं के कार्य को सुव्यवस्थित एवं अनुशासन रखने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार आदेश या निर्देश देंगे।
5. आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। इसके अन्तर्गत जिला शाखाओं एवं उपशाखाओं के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को और अध्यक्ष की अनुमति से स्थायी समिति सदस्यों के अतिरिक्त प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संगठन विरोधी अथवा विधान के विपरीत कार्य करने पर अथवा उसके विरूद्ध कोई गम्भीर आरोप होने पर सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल निलम्बित कर सकेंगे किन्तु इसकी पुष्टि 30 दिन में स्थायी समिति अथवा प्रदेश कार्यकारिणी से करानी होगी अन्यथा इस अवधि के बाद ये आदेश स्वत: ही रद्द माने जायेंगे।

(ड़) **अतिरिक्त महामन्त्री :-**

1. महामन्त्री द्वारा निर्देशित कार्य करेंगे।
2. महामन्त्री की अनुपस्थिति में समस्त कार्यों का निष्पादन करेंगे।
3. महामन्त्री का पद रिक्त होने पर महामन्त्री का सम्पूर्ण कार्य करेंगे।

**(च) मंत्री (पुरूष व महिला) :-**

1. महामन्त्री के निर्देशानुसार उनके कार्यों में सहयोग करेंगे।
2. प्रदेश कार्यकारिणी अथवा स्थायी समिति द्वारा निर्देशित कार्य करेंगे।
3. महामन्त्री एवं अतिरिक्त महामन्त्री का त्याग पत्र स्वीकृत होने पर अथवा अन्य किसी भी कारण से महामन्त्री एवं अतिरिक्त महामन्त्री का पद रिक्त होने पर स्थायी समिति के निर्णयानुसार उसके कर्त्तव्यों एवं अधिकारों का निर्वहन करेंगे।
4. महामन्त्री एवं अतिरिक्त महामन्त्री की अनुपस्थिति में बैठकों का आयोजन करेंगे एवं विवरण तैयार करेंगे।

**(छ) महिला सचिव :-**

1. महिला क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन महामन्त्री/प्रदेश कार्यकारिणी/स्थायी समिति के निर्देशानुसार, अतिरिक्त महामन्त्री/मंत्री (पुरूष व महिला) से समन्वय करते हुए करेंगी।

**(ज) उपाध्यक्ष :-**

**(प्राथमिक/माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा/महिला क्षेत्र)**

1. अपने-अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित शिक्षकों की समस्याओं पर विचार-विमर्श कर आवश्यक सुझाव अध्यक्ष/महामन्त्री को देंगे। अपने-अपने क्षेत्रों के जिला पदाधिकारियों का आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे। सम्बन्धित क्षेत्र के राष्ट्रीय संगठन के कार्यक्रमों में अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।

**(झ) संगठन मंत्री :-**

प्रदेश का एक संगठन मंत्री होगा। संगठन मंत्री उन्हीं आजीवन सदस्यों में से मनोनीत किया जा सकेगा जो प्रदेश कार्यकारिणी के किसी एक या अधिक पदों पर कम से कम 07 (सात) वर्षों तक कार्य कर चुके हों।

प्रदेश में संगठन कार्य को सुचारू रूप से संचालित एवं सुदृढ करने के लिए प्रवास करेंगे। इस सम्बन्ध में सम्भाग संगठन मंत्री (पुरूष व महिला), विभाग संगठन मंत्री व जिला संगठन मंत्री

सहित प्रदेश, जिला एवं उपशाखा के समस्त पदाधिकारियों को आवश्यक आदेश व निर्देश देंगे। प्रदेश अध्यक्ष व महामन्त्री से परामर्श कर जिला संगठन मंत्रियों का मनोनयन करेंगे।

संगठनात्मक आवश्यकता होने पर प्रदेश संगठन मंत्री अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। सम्भाग संगठन मंत्री (पुरूष व महिला), विभाग संगठन मंत्री, जिला संगठन मंत्री, प्रदेश, जिला एवं उपशाखा के किसी पदाधिकारी को संगठन या विधान विरोधी कार्य करने, संगठन का अनुशासन भंग करने अथवा संगठन के आदेशों व निर्देशों की अवहेलना करने पर अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित प्रदेश अध्यक्ष/महामन्त्री को सूचित करेंगे।

प्रदेश संगठन मंत्री संगठन के वार्षिक निर्वाचन प्रक्रिया में पदेन संयोजक निर्वाचन समिति के नाते कार्य करेंगे। इस हेतु आवश्यक निर्वाचन विज्ञप्ति जारी करने, आवश्यकतानुसार निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा प्रदेश निर्वाचन हेतु मतदाता सूची जारी करने आदि कार्य करेंगे। मतदाता सूची में विधि सम्मत आपत्ति प्राप्त होने पर निर्वाचन समिति से परामर्श कर संशोधन करेंगे।

प्रदेश संगठन मंत्री द्वारा स्वयं किसी भी पद के निर्वाचन में प्रत्याशी बनने से पूर्व उन्हें प्रदेश संगठन मंत्री पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा।

**(ञ) प्रदेश संयुक्त मंत्री एवं महिला संयुक्त मंत्री :-**

महामन्त्री द्वारा निर्देशित कार्य करेंगे और उनके कार्य में उनके निर्देशानुसार सहयोग करेंगे।

**(ट) सचिव (प्रारम्भिक/माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा) :-**

अध्यक्ष/महामन्त्री एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार अपने क्षेत्र के शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से पत्र व्यवहार करेंगे। अध्यक्ष, महामन्त्री के निर्देशानुसार अपने-अपने क्षेत्र की बैठक आहूत करेंगे। सम्बन्धित क्षेत्र के राष्ट्रीय संगठन के कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।

**(ठ) सम्भाग संयुक्त मंत्री (पुरूष/महिला) :-**

अध्यक्ष, सम्बन्धित सम्भाग उपाध्यक्ष एवं महामन्त्री के निर्देशानुसार अपने सम्भाग क्षेत्र के शिक्षकों की समस्याओं को हल करने के लिए सचेष्ट होंगे तथा सम्भाग से सम्बन्धित अधिकारियों से पत्र व्यवहार करने एवं सम्पर्क करने के लिए अधिकृत होंगे।

**(ड) सम्भाग संगठन मंत्री (पुरूष व महिला) :-**

1. प्रदेश संगठन मंत्री/अध्यक्ष/महामन्त्री/सम्भाग उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
2. सम्भाग क्षेत्र की सदस्यता की देख-रेख करेंगे।

**(ढ) विभाग संगठन मंत्री :-**

1. विभाग संगठन मंत्री अपने क्षेत्र की सभी जिला शाखाओं एवं उपशाखाओं की संगठनात्मक गतिविधियों को संचालित, संयमित एवं संशोधित करने के लिए उत्तरदायी होंगे और इस हेतु जिला शाखाओं के पदाधिकारियों को आवश्यक आदेश या निर्देश देंगे।
2. जिला शाखाओं, उपशाखाओं के संगठनात्मक विवादों को सुलझायेंगे।
3. जिला शाखाओं, उपशाखाओं के चुनाव समय पर हों, इसकी देख-रेख करेंगे।
4. जिला शाखाओं और आवश्यकता होने पर उपशाखाओं के हिसाब की जाँच करेंगे या इसकी व्यवस्था करेंगे।

**(ण) कोषाध्यक्ष :-**

1. आय-व्यय का हिसाब रखेंगे तथा चार्टेड एकाउन्टेन्ट (CA) से ऑडिट करवायेंगे।
2. प्रदेश कार्यकारिणी से बजट स्वीकृत करायेंगे एवं बजट के अनुसार व्यय को संयमित रखेंगे।
3. 10000 रूपये के अतिरिक्त सारी राशि संगठन के बैंक या डाकघर खाते में जमा करायेंगे।
4. जिला शाखाओं, उपशाखाओं के हिसाब की जाँच व ऑडिट कर सकेंगे।
5. प्रदेश कैशबुक पर महामन्त्री के स्थायी समिति की प्रत्येक बैठक के दिन हस्ताक्षर करायेंगे।

6. प्रत्येक छः माह में आन्तरिक अंकेक्षण दल द्वारा ऑडिट करायेंगे तथा 4 माह के अन्तराल में कैश बुक का अध्यक्ष को अवलोकन कराकर अध्यक्ष के हस्ताक्षर करायेंगे।

**(त) सभाध्यक्ष एवं उपसभाध्यक्ष :-**

1. सभाध्यक्ष प्रदेश महासमिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तथा मार्गदर्शन करेंगे।

2. सभाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभाध्यक्ष जिसका क्रम निर्वाचन के समय प्राप्त मतों की संख्या अथवा अधिक आयु के अनुसार होगा, प्रदेश महासमिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

3. प्रदेश कार्यकारिणी अथवा स्थायी समिति द्वारा प्रदेश महासमिति के अधिवेशन का स्थान और समय निश्चित होने पर अधिवेशन के आयोजन में सहयोग करेंगे।

**17. जिला संरक्षक मण्डल :-**

प्रत्येक जिले में एक संरक्षक मण्डल होगा। इसमें अधिकतम तीन सदस्य होंगे। संगठन के ऐसे आजीवन सदस्य शिक्षक जो कुल मिलाकर 10 वर्ष तक जिला स्थायी समिति से सम्बन्धित पदों पर या 5 वर्ष तक प्रदेश स्थायी समिति के सदस्य रहे हो, जिला संरक्षक मण्डल के सदस्य होंगे। जिला कार्यकारिणी अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर जिला संरक्षक हेतु पैनल बनाकर प्रदेश स्थायी समिति को अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगी। प्रदेश स्थायी समिति निर्धारित संख्या में सदस्यों का अनुमोदन करेगी। जिला संरक्षक मण्डल का गठन तीन वर्ष के लिए होगा। संरक्षक जिले व उपशाखाओं के पदाधिकारियों/सदस्यों को आवश्यक सुझाव देंगे। जिला संरक्षक जिला स्थायी समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

**18. जिला महासमिति :-**

**(क) गठन :-**

प्रत्येक जिले की समस्त उपशाखाओं की कुल सदस्य संख्या के चार प्रतिशत के तुल्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, उपशाखाओं के निर्वाचित अध्यक्ष, मंत्री एवं महिला मंत्री एवं गत सत्र में जिला

महासमिति द्वारा निर्वाचित जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को मिलाकर जिला महासमिति गठित होगी। वे आजीवन सदस्य जो कुल मिलाकर 5 वर्ष तक जिला कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य/स्थायी समिति के सदस्य रहे हैं, भी जिला महासमिति के सदस्य होंगे। ऐसे सदस्य सेवारत जिले या सेवानिवृत्ति के बाद जिस जिले में रह रहे हैं उस जिले की महासमिति के सदस्य होंगे। जिला महासमिति का अधिवेशन जिला कार्यकारिणी द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थान पर जिला मंत्री द्वारा 07 (सात) दिन की पूर्व सूचना से बुलाया जावेगा।

**(ख)** जिला महासमिति निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करेगी:-

1. जिला कार्यकारिणी का निर्वाचन।
2. गत सत्र के कार्य विवरण को स्वीकृत करना।
3. गत सत्र के आय-व्यय को स्वीकृत करना।
4. जिला कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों, सुझावों पर विचार करना।

**(ग)** जिला महासमिति की बैठक का गणपूरक कुल संख्या का पंचमांश (1/5) होगा।

**(घ)** प्रदेश स्थायी समिति के निर्देश या प्रदेश स्थायी समिति की स्वीकृति से महामन्त्री, प्रदेश संगठन मंत्री, संभाग संगठन मंत्री (पुरूष व महिला)या विभाग संगठन मंत्री भी जिला महासमिति की बैठक सात दिन की पूर्व सूचना पर बुला सकेंगे।

**19. जिला स्थायी समिति :-**

सभाध्यक्ष, अध्यक्ष, मंत्री, महिला मंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष-दो (पुरूष-एक, महिला-एक), समस्त क्षेत्रों के उपाध्यक्ष व सचिव, कोषाध्यक्ष एवं संगठन मंत्री जिला स्थायी समिति के सदस्य होंगे। जिले में कार्यरत प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं जिला संरक्षक मण्डल के सदस्य आमंत्रित सदस्य होंगे। आमंत्रित सदस्य मत विभाजन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। आवश्यकता होने पर अध्यक्ष तथा मंत्री परस्पर विचार कर किसी बैठक में अन्य किसी को भी आमंत्रित कर सकेंगे।

स्थायी समिति तात्कालिक समस्याओं पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही कर सकेगी। नीतिगत निर्णयों के लिये प्रदेश स्थायी समिति से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

**20. जिला कार्यकारिणी का गठन :-**

**(क)** जिला कार्यकारिणी में निम्नांकित निर्वाचित सदस्य होंगे:-

1. सभाध्यक्ष - एक
2. उप सभाध्यक्ष - एक
3. अध्यक्ष - एक
4. वरिष्ठ उपाध्यक्ष - एक
5. उपाध्यक्ष - **पाँच** (पुरूष, महिला, माध्यमिक, प्रारम्भिक व संस्कृत क्षेत्र प्रत्येक से एक-एक)
6. सचिव- चार (माध्यमिक, प्रारम्भिक, महिला व संस्कृत क्षेत्र प्रत्येक से एक-एक)
7. मंत्री - एक
8. अतिरिक्त मंत्री - एक
9. महिला मंत्री - एक
10. कोषाध्यक्ष - एक

**एवं कार्यकारिणी सदस्य संवर्गश: एक :-**

11. अध्यापक 12. पंचायत समिति शिक्षक
13. वरिष्ठ अध्यापक 14. प्राध्यापक
15. प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य 16. महाविद्यालय शिक्षा
17. शारीरिक शिक्षक 18. महिला शिक्षक
19. संस्कृत शिक्षक (संस्कृत विभाग से)
20. प्रयोगशाला सहायक 21. निजी शिक्षण संस्था शिक्षक
22. पुस्तकालयाध्यक्ष 23. सेवानिवृत्त शिक्षक
24. प्रबोधक

**(ख) सहवरण के पद :-**

1. संगठन मंत्री-दो (पुरूष-एक, महिला-एक)।
2. आवश्यकतानुसार सह संगठन मंत्री बनाये जा सकेंगे।
3. सहवरण के समय उन उपशाखाओं को प्राथमिकता से

प्रतिनिधित्व दिया जायेगा जिनका प्रतिनिधित्व कार्यकारिणी में नहीं है।

(ग) मंत्री द्वारा मनोनीत–संयुक्त मंत्री–दो (एक पुरूष, एक महिला)।

(घ) गत सत्र के जिलाध्यक्ष एवं जिला मंत्री।

(ड़) प्रदेश कार्यकारिणी और सम्बद्ध अखिल भारतीय संगठनों की कार्यकारिणी के वे सदस्य जो उस जिले में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के सदस्य हैं/निवास करते हैं।

(च) किसी भी रिक्त पद का सहवरण जिला कार्यकारिणी द्वारा किया जावेगा।

**21. जिला बैठक :–**

जिला कार्यकारिणी की बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री 05 दिन पूर्व सूचना पर बुलायेंगे। आवश्यकता होने पर प्रदेश अध्यक्ष या महामन्त्री या प्रदेश संगठन मंत्री स्वयं जिला कार्यकारिणी की बैठक बुला सकेंगे। जिला कार्यकारिणी की बैठक का गणपूरक (कोरम) एक तिहाई या सात सदस्यों का (जो भी कम हो) होगा किन्तु स्थगित बैठक में गणपूरक आवश्यक नहीं होगा।

**22. जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्त्तव्य :–**

**(क) अध्यक्ष :–**

जिला बैठक बुलाने की अनुमति देंगे। बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। समान मत होने पर निर्णायक मत देंगे और मार्गदर्शन करेंगे। मंत्री द्वारा किये गए व्यय बिलों को पारित करेंगे।

**(ख) मंत्री :–**

अध्यक्ष की अनुमति से जिला स्तर की बैठकें बुलायेंगे व उनका संयोजन करेंगे। बैठकों का विवरण तैयार कर उनका अनुमोदन करायेंगे। स्वीकृत प्रस्तावों एवं निर्णयों को क्रियान्वित करने व कराने का प्रयास करेंगे। उपशाखाओं के कार्य को अनुशासित रखेंगे। उपशाखाओं के पदाधिकारियों को निर्देश देंगे तथा प्रदेश के पदाधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखेंगे और उनके निर्देशों का

पालन करेंगे। जिला कोष से किये जाने वाले व्यय बिलों को पारित करेंगे।

**(ग) अतिरिक्त मंत्री :-**

जिलामंत्री द्वारा निर्देशित कार्य करेंगे। जिलामंत्री की अनुपस्थिति में समस्त कार्यों का निष्पादन करेंगे। जिलामंत्री का पद रिक्त होने पर मंत्री का सम्पूर्ण कार्य करेंगे।

**(घ) महिला मंत्री व सचिव :-**

महिला क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन अध्यक्ष/मंत्री/जिला कार्यकारिणी/जिला स्थायी समिति/अतिरिक्त मंत्री से समन्वय करते हुए करेंगी।

**(ड) वरिष्ठ उपाध्यक्ष :-**

अध्यक्ष द्वारा निर्देशित कार्य करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जिला कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे एवं उसके अधिकारों व दायित्वों का वहन करेंगे।

**(च) उपाध्यक्ष :-**

अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के अधिकार व दायित्वों का वहन करेंगे।

**(छ) उपाध्यक्ष (प्राथमिक, माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा एवं महिला क्षेत्र) :-**

अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित शिक्षकों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक सुझाव अध्यक्ष/मंत्री को देंगे।

**(ज) सचिव (प्राथमिक, माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा) :-**

अध्यक्ष/मंत्री एवं सम्बन्धित क्षेत्र के उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार अपने-अपने क्षेत्र के शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण कराने में मंत्री को सहयोग प्रदान करेंगे तथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अधिकारियों से पत्र व्यवहार करेंगे।

**(झ) संयुक्त मंत्री एवं महिला संयुक्त मंत्री :-**

अध्यक्ष एवं मंत्री के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा मंत्री की अनुपस्थिति में उनके अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

**(ञ) जिला संगठन मंत्री :-**

अध्यक्ष व मंत्री तथा प्रदेश संगठन मंत्री, संभाग संगठन मंत्री एवं विभाग संगठन मंत्री के निर्देशन में उपशाखाओं की संगठनात्मक गतिविधियों की देख-रेख करेंगे। उनको अनुशासित रखेंगे और उनकी कठिनाईयों को दूर करेंगे।

**(ट) कोषाध्यक्ष :-**

आय-व्यय का हिसाब रखेंगे तथा जिला कार्यकारिणी व जिला महासमिति के समक्ष आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करेंगे। आय-व्यय का प्रदेश द्वारा नियुक्त पदाधिकारी द्वारा ऑडिट करायेंगे। 5000 रू. से अधिक धनराशि जिला शाखा के बैंक या डाकघर खाते में जमा करायेंगे। प्रत्येक बैठक के दिन कैशबुक पर जिला मंत्री के हस्ताक्षर करायेंगे। प्रत्येक छः माह में आन्तरिक ऑडिट करावेंगे तथा 4 माह के अन्तराल में कैशबुक अध्यक्ष को अवलोकन कराकर हस्ताक्षर करायेंगे।

**(ठ) सभाध्यक्ष :-**

जिला महासमिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जिला महासमिति अधिवेशन में जिला कार्यकारिणी का सहयोग व मार्गदर्शन करेंगे।

**(ड) उपसभाध्यक्ष :-**

सभाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त दायित्व का निर्वहन करेंगे।

**23. उपशाखा कार्यकारिणी :-**

**(क) उपशाखा कार्यकारिणी में निम्नांकित निर्वाचित सदस्य होंगे:-**

1. सभाध्यक्ष - एक
2. उप सभाध्यक्ष - एक
3. अध्यक्ष - एक
4. वरिष्ठ उपाध्यक्ष - एक
5. उपाध्यक्ष - दो (पुरूष- एक, महिला-एक)
6. मंत्री - एक
7. महिला मंत्री - एक
8. कोषाध्यक्ष - एक

एवं कार्यकारिणी सदस्य संवर्गशः एक :-

9. अध्यापक 10. पंचायत समिति शिक्षक

11. वरिष्ठ अध्यापक 12. प्राध्यापक सदस्य

13. प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य 14. महाविद्यालय शिक्षा

15. शारीरिक शिक्षक 16. महिला शिक्षक

17. संस्कृत शिक्षक (संस्कृत विभाग से)

18. प्रयोगशाला सहायक 19. निजी शिक्षण संस्था शिक्षक

20. पुस्तकालयाध्यक्ष 21. सेवानिवृत्त शिक्षक

22. प्रबोधक

**(ख) सहवरण के पद :-**

1. संगठन मंत्री-एक

2. संयुक्त मंत्री - दो (एक पुरूष व एक महिला, मंत्री द्वारा मनोनीत)

3. आवश्यकतानुसार सह संगठन मंत्री।

**(ग)** गत सत्र के अध्यक्ष एवं मंत्री।

**(घ)** उपशाखा कार्यकारिणी की बैठक सामान्यतया सात दिन की पूर्व सूचना और आवश्यक बैठक तीन दिन की पूर्व सूचना पर अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री द्वारा बुलाई जावेगी जिसका गणपूरक एक तिहाई या पांच (जो भी कम हो) होगा किन्तु स्थगित बैठक के लिए गणपूरक की आवश्यकता नहीं होगी।

**24. उपशाखा के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्त्तव्य :-**

**(क) अध्यक्ष:-**

उपशाखा बैठकों को बुलाने की अनुमति देंगे व बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। समान मत होने पर निर्णायक मत देंगे और मार्गदर्शन करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनके अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मंत्री के व्यय बिलों को पारित करेंगे।

**(ख) मंत्री :-**

बैठकों का आयोजन व संयोजन करेंगे। उनका विवरण तैयार कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे। स्वीकृत प्रस्तावों एवं निर्णयों को क्रियान्वित करने व कराने का प्रयास करेंगे। जिला एवं प्रदेश के

पदाधिकारियों के निर्देशों एवं आदेशों का पालन करेंगे। उपशाखा कोष से किये जाने वाले बिलों को पारित करेंगे।

**(ग) महिला मंत्री :-**

उपशाखा मंत्री/उपशाखा कार्यकारिणी से समन्वय करते हुए महिला क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन करेगी।

**(घ) संयुक्त मंत्री एवं महिला संयुक्त मंत्री :-**

अध्यक्ष एवं मंत्री के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा मंत्री की अनुपस्थिति में संयुक्त मंत्री उनके अधिकारों एवं दायित्वों का वहन करेंगे।

**(ड) कोषाध्यक्ष :-**

आय-व्यय का हिसाब रखेंगे। जिले द्वारा नियुक्त पदाधिकारी से ऑडिट करावेंगे और 2000 रूपये से अधिक धनराशि उपशाखा के बैंक या डाकघर खाते में जमा करायेंगे। उपशाखा की कैशबुक पर प्रत्येक बैठक के दिन मंत्री के हस्ताक्षर करवायेंगे तथा 4 माह के अन्तराल में कैशबुक अध्यक्ष को अवलोकन करवाकर हस्ताक्षर करावेंगे।

**(च) वरिष्ठ उपाध्यक्ष :-**

अध्यक्ष द्वारा निर्देशित कार्य करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपशाखा कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे एवं उसके अधिकारों व दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

**(छ) उपाध्यक्ष :-**

अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के अधिकार व दायित्वों का वहन करेंगे।

**25. वार्षिक सम्मेलन :-**

(क) राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का प्रान्तीय वार्षिक सम्मेलन प्रतिवर्ष सितम्बर से दिसम्बर मास की अवधि में स्थायी समिति अथवा प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा निश्चित दिन/विभागीय पंचाग के अनुसार व स्थायी समिति द्वारा निर्णित स्थान पर होगा जिसकी सूचना कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व दी जावेगी।

**(ख)** जिला वार्षिक सम्मेलन प्रतिवर्ष सामान्यत: सितम्बर मास

में/विभागीय पंचांगानुसार जिला कार्यकारिणी द्वारा निश्चित दिन व स्थान पर होगा। विशेष परिस्थिति में प्रदेश स्थायी समिति की स्वीकृति से यह अवधि आगे तक बढ़ाई जा सकेगी। सम्मेलन की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जावेगी।

**(ग)** उपशाखा वार्षिक सम्मेलन प्रतिवर्ष सामान्यत: अगस्त से नवम्बर मास के मध्य उपशाखा कार्यकारिणी द्वारा निश्चित दिन व स्थान पर होगा जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जावेगी।

**(घ)** उपशाखाओं और जिला शाखाओं के चुनाव और सम्मेलनों को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रदेश पदाधिकारियों के आदेशों एवं निर्देशों की पालना करना उपशाखा एवं जिला शाखा के लिए आवश्यक होगा।

**26. आय-व्यय का अंकेक्षण :-**

**(क)** प्रदेश का ऑडिट स्थायी समिति द्वारा नियुक्त ऑडिटर व चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से, जिला शाखा का ऑडिट संभाग व विभाग संगठन मंत्री या प्रदेश संगठन मंत्री या प्रदेश कोषाध्यक्ष या प्रदेश द्वारा नियुक्त ऑडिटर या प्रदेश द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से कराना आवश्यक होगा।

**(ख)** किसी भी उपशाखा या जिला शाखा के कोष के सम्बन्ध में, आय-व्यय बजट के सम्बन्ध में, आय-व्यय के सम्बन्ध में, प्रदेश कार्यकारिणी या स्थायी समिति के निर्णय और उन निर्णयों के अनुसार प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों की सम्बन्धित जिला शाखा या उपशाखा या उसके पदाधिकारी को मानना और उनका पालन करना आवश्यक होगा।

**27. विधान संशोधन :-**

विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अथवा जिला कार्यकारिणी द्वारा ही प्रस्तावित किये जायेंगे जो स्थायी समिति या प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा गठित विधान संशोधन समिति के समक्ष प्रदेश महासमिति के अधिवेशन से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत करने होंगे। स्थायी समिति अथवा

विधान संशोधन समिति पारित प्रस्तावों को अपनी सहमति/सम्मति के साथ प्रदेश महासमिति के अधिवेशन में विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। प्रदेश महासमिति ही इन प्रस्तावों पर विचार करके उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन, धाराओं, उप धाराओं के क्रमों में परिवर्तन अथवा नये विधान का निर्माण कर सकेगी। नये विधान का निर्माण होने पर संशोधित अथवा नया विधान वर्तमान विधान का स्थान ले लेगा और उसके अनुसार ही राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का कार्य संचालन होगा। इससे राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की प्रामाणिकता, अस्तित्व, स्वरूप, पूर्व स्थिति, मान्यता, पंजीकरण, पंजीकृत संस्था न्यास आदि और अन्य किसी भी प्रकार की कानूनी एवं संवैधानिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

28. **निर्वाचन :-**

**(क) निर्वाचन समिति** - निर्वाचन समिति का गठन स्थायी समिति करेगी जिसके संयोजक प्रदेश संगठन मंत्री पदेन होंगे तथा इसका एक सदस्य अनिवार्यत: कोषाध्यक्ष होगा। निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत संयोजक समय-समय पर चुनाव विज्ञप्ति प्रकाशित करेंगे। आवश्यकतानुसार उपशाखा, जिलाशाखा व प्रदेश के चुनाव हेतु चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे तथा उपशाखा, जिलाशाखा व प्रदेश के पदाधिकारियों को चुनाव से सम्बन्धित आवश्यक निर्देश देंगे जिनका पालन सभी पदाधिकारियों व सदस्यों के लिए आवश्यक होगा।

**(ख)** चुनाव सम्बन्धी कोई भी विज्ञप्ति राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के मुख पत्र शिक्षक संदेश अथवा राजस्थान के किसी भी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र अथवा सम्बन्धित जिला या क्षेत्र में प्रचलित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित होने पर सभी सम्बन्धित सदस्यों को विधिवत सूचना दी गई मानी जावेगी।

**(ग)** कोई भी सदस्य प्रदेश, जिला या उपशाखा कार्यकारिणी (प्रदेश व जिला महासमिति सदस्य के अतिरिक्त) के किसी एक ही पद पर रह सकेगा। यदि कोई व्यक्ति जो पहले से ही किसी एक

पद पर है, अन्य किसी पद पर निर्वाचित या मनोनीत हो जाता है तो निर्वाचित या मनोनीत होने के 15 दिन की अवधि में उसे किसी एक पद से त्याग पत्र देना होगा अन्यथा 15 दिन के बाद वह पूर्व पद से स्वत: मुक्त माना जावेगा।

**(घ)** उपशाखा के अध्यक्ष, मंत्री, महिला मंत्री, जिला महासमिति एवं प्रदेश महासमिति की सदस्यता के प्रत्येक प्रत्याशी को शिक्षक संदेश पत्र का ग्राहक होना आवश्यक होगा।

**(ड़)** उपशाखाओं व जिला शाखाओं के निर्वाचन प्रतिवर्ष स्थायी समिति द्वारा निर्धारित अवधि तक करवाए जावेंगे। निर्धारित समय में निर्वाचन नहीं होने पर सम्बन्धित कार्यकारिणी स्वत: ही भंग समझी जावेगी। प्रदेश के निर्वाचन प्रतिवर्ष ग्रीष्मावकाश में करवाए जावेंगे। अपवादस्वरूप विशेष परिस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी का अस्तित्व न होने पर मध्यावधि में भी निर्वाचन कराये जा सकेंगे।

**(च)** किसी उपशाखा/जिला शाखा/प्रान्त के निर्वाचन निर्धारित अवधि में सम्पन्न न होने पर तत्कालीन विशेष परिस्थितिवश प्रदेश निर्वाचन अधिकारी समयावधि में परिवर्तन कर सकेंगे।

**(छ)** चुनाव न होने के फलस्वरूप किसी उपशाखा/जिलाशाखा में संयोजक अथवा तदर्थ समिति नियुक्त करने का अधिकार स्थायी समिति को होगा।

**(ज)** उपशाखा, जिला एवं प्रदेश स्तर के किसी निर्वाचित पद पर निर्वाचन हेतु उस व्यक्ति को शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का तीन सत्रों से लगातार सदस्य (वर्तमान सत्र सहित) होना अनिवार्य होगा।

**29. न्यायाधिकरण :-**

किसी भी प्रकार के (प्रदेश, जिला शाखा या उपशाखा आदि) संगठन चुनाव सम्बन्धी विवाद को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण होगा जिसके तीन सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति प्रदेश स्थायी समिति द्वारा कुल संख्या के बहुमत से संघ के संरक्षकों, अध्यक्षों, सभाध्यक्षों, शिक्षाविदों व अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों में से की जा सकेगी और इनमें किसी के उपलब्ध न

होने पर प्रदेश स्थायी समिति के दो तिहाई बहुमत से अन्य किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी।

किसी भी चुनाव के सम्पन्न होने के 15 दिन की अवधि में उस चुनाव के विरूद्ध उस चुनाव से सम्बन्धित किसी भी प्रत्याशी द्वारा न्यायाधिकरण को 500 रूपये या स्थायी समिति द्वारा निर्धारित शुल्क जो राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) जयपुर के नाम से बैंक ड्राट से जमा हो, के साथ संयोजक, न्यायाधिकरण को रजिस्टर्ड डाक से अपील की जा सकेगी। न्यायाधिकरण के बहुमत का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। न्यायाधिकरण का गठन न होने की स्थिति में प्रदेश स्थायी समिति इस पर निर्णय करने के लिए अधिकृत होगी। संगठन का कोई सदस्य/पदाधिकारी निर्वाचन के अतिरिक्त संगठन के किसी निर्णय से व्यक्तिश: प्रभावित होने पर निर्णय के एक (01) माह में निर्धारित शुल्क 500 रूपये के साथ न्यायाधिकरण में अपील कर सकेगा।

न्यायाधिकरण/प्रदेश स्थायी समिति के निर्णय से पूर्व संगठन का कोई भी सदस्य/ व्यक्ति सीधे ही न्यायालय में नहीं जा सकेगा।

30. **विशेषाधिकार :-**

**(क)** जिन विषयों का समावेश अथवा स्पष्टीकरण इस विधान में नहीं हो सका है उनके सम्बन्ध में तत्काल निर्णय करने अथवा विधान की किसी धारा या उपधारा का स्पष्टीकरण करने का अधिकार प्रदेश स्थायी समिति को होगा।

**(ख)** उपशाखाओं के किसी भी विवाद पर सम्बन्धित जिला कार्यकारिणी निर्णय कर सकेगी। इसमें उपशाखाओं को भंग कर तदर्थ समिति या संयोजक की नियुक्ति करना भी सम्मिलित है जिनका अनुमोदन प्रदेश स्थायी समिति की आगामी बैठक में कराना आवश्यक होगा।

**(ग)** जिला शाखा के किसी भी विवाद पर प्रदेश स्थायी समिति निर्णय कर सकेगी जिसमें जिला शाखा को भंग कर तदर्थ समिति या संयोजक की नियुक्ति करना भी सम्मिलित है। जिसकी अपील

प्रदेश कार्यकारिणी को की जा सकेगी और प्रदेश कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

**(घ)** किसी भी सदस्य के पास सदस्यता शुल्क अथवा प्रदेश, जिलाशाखा या उपशाखा कोष की कोई राशि अनाधिकृत रूप से शेष रह जाती है तो वह आगामी एक वर्ष तक संगठन की सदस्यता से वंचित किया जा सकेगा और आगामी तीन वर्षों तक संगठन के किसी पद पर निर्वाचन में भाग नहीं ले सकेगा। किसी के पास अनाधिकृत रूप में राशि शेष रहने का निर्णय प्रदेश स्थायी समिति करेगी।

**(ड़)** प्रदेश, जिला शाखा या उपशाखा का कोई भी पदाधिकारी अपने कार्यकाल की समाप्ति के एक मास बाद तक भी यदि अपने पद का पूरा चार्ज सम्बन्धित पदाधिकारी को नहीं संभलाता है तो आगामी एक वर्ष के लिए वह अपने पद एवं संगठन की सदस्यता से मुक्त माना जायेगा। सम्बन्धित कार्यकारिणी इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर सकेगी परन्तु इसका अनुमोदन प्रदेश स्थायी समिति से प्राप्त करने के बाद ही सम्बन्धित कार्यकारिणी का निर्णय प्रभावी होगा।

**(च)** जिला शाखा व उपशाखा की कार्यकारिणी व महासमिति के गठन सम्बन्धी तथा अधिकार एवं कर्त्तव्य सम्बन्धी धाराओं, उपधाराओं के सम्बन्ध में स्थायी समिति अथवा प्रदेश कार्यकारिणी के बहुमत से पारित धाराएँ व उपधाराएँ प्रदेश महासमिति द्वारा अनुमोदित व संशोधित मानी जायेंगी।

*** विधान संशोधन समिति ***

| | | |
|---|---|---|
| नवीन कुमार शर्मा | अरविन्द व्यास | महेन्द्र कुमार लखारा |
| सम्पत सिंह | अरूणा शर्मा | प्रहलाद शर्मा |

**संशोधित प्रस्ताव 1 (2023)**

राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग तथा संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक। राजस्थान प्रदेश में राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं, अधिनियमों आदि के तहत संचालित शिक्षण संस्थाओं या अन्य विभागों में कार्यरत राजकीय शिक्षक तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान प्रदेश स्थित शिक्षण प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थाओं के राजकीय शिक्षक जिसमें सभी स्तर के प्रशिक्षित पूर्व प्राथमिक शिक्षक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक, प्रबोधक, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षक, पुस्कालयाध्यक्ष, संस्था प्रधान, प्रधानाचार्य, उप- प्रधानाचार्य तथा शिक्षक से पदोन्नत होकर बने अतिरिक्त निदेशक स्तर तक के सभी शिक्षा अधिकारी सम्मिलित हैं।

**संशोधित प्रस्ताव 2 (2023)**

1. संगठन में प्रदेश स्तरीय एक संरक्षक मण्डल होगा। संरक्षक मण्डल में वे आजीवन सदस्य ही लिये जा सकेंगे जो प्रदेश स्थायी समिति में किसी एक या अधिक पदों पर कम से कम सात वर्ष तक काम कर चुके हों तथा पचास वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। संरक्षक 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अपना दायित्व निर्वहन कर रहेंगे।
2. संरक्षकों की नियुक्ति का निर्णय स्थायी समिति दो तिहाई बहुमत से करेगी। किसी संरक्षक का त्याग पत्र स्वीकृत होने या किसी अन्य शिक्षक संगठन के सदस्य या पदाधिकारी बन जाने पर सम्बन्धित संरक्षक अपने दायित्व से स्वतः ही मुक्त माने जायेंगे। संरक्षक मण्डल समय-समय पर प्रदेश, जिला एवं उपशाखा स्तर की किसी भी कार्यकारिणी, समिति या पदाधिकारी का अपने सुझावों द्वारा मार्गदर्शन करेंगे। संरक्षक मण्डल का बहुमत जब प्रदेश कार्यकारिणी अथवा स्थायी समिति के किसी निर्णय से असहमत हों तो वे उन्हें पुनर्विचार के निर्देश दे सकते हैं। इस परिस्थिति में पुनर्विचार करना आवश्यक होगा। पुनः विचार हेतु आहूत बैठक में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। समस्त संरक्षक स्थायी समिति के स्थायी आमन्त्रित सदस्य होंगे।
3. 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मुक्त हुए संरक्षक तथा संगठन हित में स्थायी समिति द्वारा निर्धारित अन्य वरिष्ठ सदस्य स्थायी समिति के विशेष आमन्त्रित सदस्य होंगे।

**संशोधित प्रस्ताव 3 (2023)**

प्रदेश का एक संगठन मंत्री होगा। संगठन मंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

संगठन मंत्री प्रदेश में संगठन कार्य को सुचारू रूप से संचालित एवं सुदृढ करने के लिए प्रवास करेंगे। इस सम्बन्ध में सम्भाग संगठन मंत्री (पुरुष व महिला), विभाग संगठन मंत्री व जिला संगठन मंत्री सहित प्रदेश, जिला एवं उपशाखा के समस्त पदाधिकारियों को आवश्यक आदेश व निर्देश देंगे। प्रदेश अध्यक्ष व महामन्त्री से परामर्श कर जिला संगवन मंत्रियों का मनोनयन करेंगे।

संगठनात्मक आवश्यकता होने पर प्रदेश संगठन मंत्री अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। सम्भाग संगठन मंत्री (पुरूष व महिला), विभाग संगठन मंत्री, जिला संगठन मंत्री, प्रदेश, जिला एवं उपशाखा के किसी पदाधिकारी को संगठन या विधान विरोधी कार्य करने, संगठन का अनुशासन भंग करने अथवा संगठन के आदेशों व निर्देशों की अवहेलना करने पर अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित प्रदेश अध्यक्ष/महामन्त्री को सूचित करेंगे।

प्रदेश संगठन मंत्री संगठन के वार्षिक निर्वाचन प्रक्रिया में पदेन संयोजक निर्वाचन समिति के नाते कार्य करेंगे। इस हेतु आवश्यक निर्वाचन विज्ञप्ति जारी करने, आवश्यकतानुसार निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा प्रदेश निर्वाचन हेतु मतदाता सूची जारी करने आदि कार्य करेंगे। मतदाता सूची में विधि सम्मत आपत्ति प्राप्त होने पर निर्वाचन समिति से परामर्श कर संशोधन करेंगे।

प्रदेश संगठन मंत्री द्वारा स्वयं किसी भी पद के निर्वाचन में प्रत्याशी बनने से पूर्व उन्हें प्रदेश संगठन मंत्री पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा।

**<u>विलोपन 4 (2023)</u>**

1. बिन्दु संख्या 13 (क) का क्रमांक 22 निजी शिक्षण संस्था-एक एवं क्रमांक 19 महाविद्यालय शिक्षा-एक।
2. बिन्दु संख्या 20 (क) का क्रमांक 21 निजी शिक्षण संस्था-एक एवं क्रमांक 16 महाविद्यालय शिक्षा-एक।
3. बिन्दु संख्या 23 (क) का क्रमांक 19 निजी शिक्षण संस्था-एक एवं क्रमांक 14 महाविद्यालय शिक्षा-एक।

**<u>संयोजन 4 2023</u>**

बिन्दु संख्या 13 (ख) के क्रमांक 03 पर प्रदेश सह मंत्री-चार (तीन पुरूष तथा एक महिला) जोडा जाए

नोट-बिन्दु संख्या 6 का क्रमांक-(ग) को विलोपित की जाती है ।
प्रस्ताव क्रमांक 1 के द्वारा विधान संशोधन पारित कर संशोधित कर दिया है ।

बिन्दु संख्या 10 को विलोपित की जाती है ।
प्रस्ताव क्रमांक 2 के द्वारा विधान संशोधन पारित कर संशोधित कर दिया है ।

बिन्दु संख्या 16 का क्रमांक-(झ) को विलोपित की जाती है ।
प्रस्ताव क्रमांक 3 के द्वारा विधान संशोधन पारित कर संशोधित कर दिया है ।